कार्यालयः–जिला विद्यालय निरीक्षक,सीतापुर।

पत्रांक / ई0 / विज्ञप्ति / / 2017–18 दिनांक 28 अगस्त 2017

विज्ञप्ति

अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ के शासनादेश संख्या–1218 / पन्द्रह–2–17– 2017 दिनांक 21–08–2017 के क्रम में जनपद सीतापुर मे। संचालित राजकीय इण्टर कालेजों / राजकीय हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक (एल0टी0) के रिक्त पदो के सापेक्ष बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षकों मे से अहर्ताधारी शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर तथा राजकीय / अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सेवानिवृत्त सहायक अध्यापकों की मानदेय पर इच्छुक अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

प्रतिनियुक्ति हेतु अर्हताः–

1. बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से चयनित एवं कार्यरत शिक्षक–शिक्षिका की शैक्षिक अर्हता राजकीय माध्यामिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक स्नातक वेंतनकक के पद की शैक्षिक अहर्ता के समान हो।
2. इच्छुक एवं अर्ह अभ्यिर्थियों के आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित करवाना अनिवार्य है।

आवेदन पत्र पंजीकृत डाक अथवा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सीधे दिनांक 06–09–2017 की अपराहन 05.00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे:–

निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों में अर्ह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 12–09–2017 को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, सीतापुर को प्राप्त 10.00 बजे से किया जायेगा। विद्यालयों मे जनपद स्तर पर रिक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्रम सं0	विषय का नाम	पदों का विवरण सहायक अध्यापक (एल0टी0 संवर्ग)
1	हिन्दी	32
2	अंग्रेजी	39
3	गणित / विज्ञान	57
4	सामाजिक विज्ञान	48
5	जीव विज्ञान	10
6	गृह विज्ञान	19
7	संस्कृत	20
8	चित्रकला	24
9	शारीरिक शिक्षा	10
10	वाणिज्य	01
11	उर्दू	03

पदों की संख्या अनन्तिम है तथा यह घट बढ सकती है।

नोटः– **राजकीय / अशासकीय सहा0प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सेवानिवृत्त सहा0 अध्यापक / प्रवक्ता भी विषय में अर्हताधारी होने की दशा में अपने इच्छुक विषय के अनुसार आवेदन कर सकते है।**

चयन साक्षाकार के आधार पर प्रथमतः बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों का चयन किया जायेगा। पद रिक्त रहने होने की दशा में सेवानियुत्त अध्यापकों का चयन किया जायेगा।

प्रतिनियुक्ति / मानदेय की शर्तें–

- प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले सहायक अध्यापक की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 31–03–2019 अथवा रिक्त पद के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो तक ही होगी।
- सेवा निवृत्त शिक्षक / शिक्षिका की सेवा अवधि दिनांक 31.03.2018 तक अथवा रिक्त पद के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो तक ही होगी।
- सेवानिवृत्त शिक्षकों की अधिकतम आयु 65 वर्ष तक तथा उन्हे स्वस्थता प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- सेवानिवृत्त शिक्षकों को मानदेय के रूप में वह नियत धनराशि अनुमन्य होगी जो सम्बन्धित शिक्षक के अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व, यदि कोई हो घटाने के फलस्वरूप हो), आये।
- प्रतिनियुक्ति तथा उपरोक्त सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति नितान्त स्थायी प्रकृति की होगी तथा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
- प्रतिनियुक्ति / सेवानिवृत्त पर चयनित शिक्षकों की नियुक्ति प्रथम चरण में मा0शिक्षा विभाग के राजकीय शिक्षक / शिक्षिका के लिए स्थानान्तरण / समायोजन नीति 2017 सम्बन्धित शासनादेश 29.06.2017 में निहित प्राविधानुसार विद्यालयों में रिक्त पद के प्रति की जायेगीं
- प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात सम्बन्धित शिक्षकों को मूल विभाग में वापस कर दिया जायेगा तथा उनकी तैनाती के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अपने स्तर से निर्णय लिया जायेगा।
- प्रतिनयुक्ति पर आये अध्यापकों को उनके द्वारा प्राप्त समान वेतन दिया जायेगा।
- प्रतिनियुक्ति, भत्ता देय नहीं होगा।

➢ प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने वाले कर्मियों द्वारा भविष्य में संविलयन की मांग नहीं की जायेगी। इस आशय का शपथ पत्र प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने से पूर्व सम्बन्धित कार्मिक के द्वारा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

➢ परिषदीय विद्यालयों में मौलिक रूप से कार्यरत ऐसे अध्यापकों को इस शर्त के साथ प्रतिनियुक्ति दी जायेगी कि परिषदीय अध्यापक का धारणाधिकार प्रतिनियुक्ति से वापस जाने पर अपने मौलिक रूप से नियुक्ति तैनाती के जनपद एवं उनके मूल पद के सापेक्ष रहेगा। सेवा निवृत्त सहायक अध्यापक/प्रवक्ता अपने सेवा काल का विवरण आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे।

प्रतिनियुक्ति/मानदेय के आधार पर शिक्षकों की तैनाती के

आवेदन पत्र का प्रारूप

नवीनतम् फोटो

1. आवेदित पद का नाम (विषय सहित)..
2. अभ्यर्थी का नाम..
3. पिता/पति का नाम..
4. जन्मतिथि..............................आयु वर्ष में............................
5. स्थायी पता ....
6. पत्र व्यवहार का पता ....
7. मेल आई डी..
8. दूरभाष एवं मोबाइल नं0..

....

शैक्षिक योग्यता का विवरण :–

परीक्षा का नाम	वर्ष	समस्त विषय	बोर्ड/संस्था	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
हाईस्कूल						
इण्टरमीडिएट						
स्नातक						
परास्नातक						
बी0एड0						
अन्य (डिग्री, डिप्लोमा, आदि)						

मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी समस्त उपरोक्त सूचनाएं सही हैं, मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा दी गयी सूचनाएं गलत पायी जाती हैं, तो मेरा चयन/अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाये। इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर ....

अभ्यर्थी का पूरा नाम ....

(देवकी सिंह)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
सीतापुर।

पृ0सं0 विज्ञप्ति/ 4424-31 /2017–18 दिनांक तदैव।

प्रतिनिलि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी महोदय, सीतापुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
3. अपर जिलाधिकारी न्यायिक,सीतापुर।
4. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
5. जिला सूचना अधिकारी सीतापुर को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति को www.sitapur.nic.in पर अपलोड करनें का कष्ट करें।
6. सहायक सूचना निदेशक, सीतापुर को विज्ञप्ति की 10 प्रतियां इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत् विज्ञप्ति का विस्तृत प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु प्रमुख 05 समाचार–पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करानें का कष्ट करें।
7. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी जनपद सीतापुर/प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद, एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर को इस अनुरोध के साथ कि प्रश्नगत् विज्ञप्ति को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर प्रचार–प्रसार किये जाने में सहयोग करें।
8. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद सीतापुर को इस आशय कि प्रश्नगत् पिज्ञप्ति को अपने नोटिस पर चस्पा कराकर प्रचार–प्रसार कराये जाने में सहयोग करें।

28-8-17

जिला विद्यालय निरीक्षक,
सीतापुर।